फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शंकरलाल **विपक्षी :– श्री संग्रामसिंह**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 57/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 21.04.2022 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प मावली में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति हेतु पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 4459/1696 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1697 रकबा 2 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय सुनाया गया। **(श्रवण सिंह राठौड)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shravan Singh Rathore
Date: 2022.04.27 11:51:06 IST
Reason: SelfAttested